

# न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक) बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण सं. 220/2014

दिनांक 18.11.2014

इस न्यायालय में दर्ज प्र.स.34/22

प्रकरण दायर दिनांक 03.01.2022

प्रकरण निर्णय दिनांक 01.04.2022

उनवान

1. श्री किशन लाल पुत्र श्योनारायण , जाति कुम्हार निवासी बसवा
2. चिंरजी लाल पुत्र श्योनारायण , जाति कुम्हार निवासी बसवा

:- वादी

बनाम:-

1. श्री रामजीलाल दत्तक पुत्र ओंकार
2. प्रभूदयाल पुत्र लल्लूराम
3. मोती लाल पुत्र लल्लूराम
4. रमेश पुत्र लल्लूराम
5. सुभाष पुत्र लल्लूराम
6. पारस पुत्र लल्लूराम
7. श्यामलाल पुत्र लल्लूराम
8. रामबाबू पुत्र लल्लूराम
9. बुद्धी देवी पत्नि लल्लूराम
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा दौसा।

:- प्रतिवादीगण

“ दावा तकारमा व स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरुस्ती इन्द्राज ”  
::निर्णय::

वादी ने वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादी वास्ते दावा तकारमा व स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरुस्ती इन्द्राज इस आशय में न्यायालय उप- जिला कलेक्टर बांदीकुई में दिनांक 18.11.2014 को इस आशय का निम्न प्रकार पेश किया कि ग्राम तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 145 पुरानी 84 का खसरा नं. 7809 रकबा 0.51 है। खसरा नम्बर 8851 रकबा 0.85 है। कुल किता 2 कुल रकबा 1.36 है। वार्षिक लगानी 21.76 रुपये उक्त भूमि में वादी का 3/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण न. 2 ला 0 9 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है प्रतिवादी संख्या 1 ओंकार के दत्तक बच्चा गया है इसलिये उसका हिस्सा भूमि मुतदाविया में से वादीगण के हिस्से 3/4 में से हजफ हो गया है प्रतिवादी सं. 1 ओंकार की भूमि पर काबिज काश्त है व उसकी चल अचल सम्पत्ति पर काबिज है जिसका वादीगण की भूमि में से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये वादीगण भूमि मुतदाविया में अपने हिस्सा 3/4 दर्ज करवाने की दुरुस्ती करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है व इस अमर की दुरुस्ती वादीगण न्यायालय हाजा से करवाने के अधिकारी है। भूमि मुतदाविया में से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 3/4 दर्ज प्रतिवादी सं. 1 ओंकार के गोद चले जाने के कारण भूमि मुतदाविया में वादीगण का हिस्सा 3/4 दर्ज किया जाकर भूमिमुतदाविया का सरस नरस के हिसाब से

  
सहायक कलेक्टर एवं  
कार्यालयिक ऑफिसर  
18/11/2014

तकास्मा किया जाकर वादीगण का अलग चक व अलग खाता कायम किया जावे। भूमि मुतदाविया में वादी के कब्जे पर उपभोग में मजामहत पैदा करने से दवामी तौर पर पाबन्द किये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण जरिये सम्मन नोटिस तलवी करवाई गई। तलवी होने जाने पर भी चिरजी लाल पुत्र श्योनारायण के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये। दिनांक 26.11.2016 एकतरफा कार्यवाही की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी पर नियत दिनांक 24.04.2017 को जवाब दावा पेश किया गया पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 व धारा 151 जा.दी. के जवाब द्वारा तकास्मा करने का निवेदन किया गया दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर पक्षकारान के मध्य कब्जा मौका रास्ते विवे गये। पत्रावली इस न्यायालय में दिनांक 03.01.2022 को स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुई। तहसीलदार बसवा के पत्रांक 3315 दिनांक 09.03.2020 के द्वारा तहसीलदार बसवा द्वारा पत्रावली पर कुर्रजात प्रस्ताव उपलब्ध करवाये गये जो निम्न है-


हाल जमाबंदी में दर्ज खातेदारी				कुर्रजात के अनुरार खातेदार का विवरण					
क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म	क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म
1	1- किशन लाल पुत्र श्योनारायण हिस्सा 1/4 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार 2-चिरंजीलाल पुत्र श्योनारायण हि. 1/4 जाति कुम्हार सा.देह 3-प्रभूदयाल पुत्र लल्लुराम हिस्सा 1/32 4-पारस पुत्र लल्लुराम हि 1/32 जाति कुम्हार 5-बुद्धि देवी पत्नी स्व. लल्लुराम हि. 1/32 जाति कुम्हार सा. देह. खातेदार 6- मोतीलाल पुत्र लल्लु राम हिस्सा 1/32 जाति कुम्हार सा. देह. खातेदार 7- रमेश पुत्र लल्लुराम हिस्सा 1/32 जाति कुम्हार सा. देह. खातेदार 8 रामजीलाल पुत्र श्योनारायण हिस्सा 1/4 जाति कुम्हार सा. देह. 9- रामबाबू पुत्र लल्लुराम 1/32 जाति कुम्हार सा. देह. खातेदार 10- श्याम लाल पुत्र लल्लुराम 1/32 जाति कुम्हार सा. देह. खातेदार 11- सुभाष पुत्र लल्लुराम 1/32 जाति कुम्हार सा. देह. खातेदार	7809 8851	0.51 0.85	मु.जा	1	किशन लाल,चिरंजीलाल रामजीलाल पुत्रान श्योनारायण जाति कुम्हार हिस्सा 3/4 प्रभूदयाल, पारस, मोतीलाल, रमेश, रामबाबू, श्याम लाल,सुभाष पुत्रान लल्लुराम ,बुद्धिदेवी पत्नी लल्लुराम जाति कुम्हार हि. 1/4	7809	0.51	मु.जा.
					योग	किता 1	0.51	मु.जा.	
					2	प्रभूदयाल, पारस, मोतीलाल, रमेश, रामबाबू, श्याम लाल, सुभाष पुत्रान लल्लुराम , बुद्धिदेवी पत्नी लल्लुराम जाति कुम्हार	8851/1	0.2125	
					योग	किता-1	0.2125	मु.जा.	
					3	किशन लाल,पुत्र श्योनारायण हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार सा.देह	8851/2	0.2125	मु.जा.
					योग	किता 1	0.2125	मु.जा.	
					4	चिरंजीलाल पुत्र श्योनारायण हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार सा.देह	8851/3	0.2125	मु.जा.
					योग	किता-1	0.2125	मु.जा.	
					5	रामजीलाल,श्योनारायण हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार सा.देह	8851/4	0.2125	मु.जा.
					योग	किता-1	0.2125	मु.जा.	

वकील वादी द्वारा प्राप्त कुर्रजात पर सहमती प्रकट की गई। प्रतिवादी उपस्थित नहीं है। हमने तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुर्रजात एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया कुर्रजात में नोट अंकित है कि वादी एवं प्रतिवादी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। वादी द्वारा दावे में प्रतिवादी संख्या 1 ओकार के गोद जाना अंकित करते हुये उसके हिस्से की भूमि को हजफ कर अपने हिस्से में दर्ज करवाना चाहता है उक्त सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। तहसीलदार बसवा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

राजेश कलेक्टर एवं  
आर्चापालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट ट्रेक) जीकुई

अतः आदेश है कि चान चादी आंशिक स्वीकार किया जाता है ग्राम बसवा तहसील बसवा जिला दोसा में भूमि खेपट खतौनी संख्या नई 145 पुरानी 84 का खसरा नं. 7809 रकबा 0.51 है 0 खसरा नम्बर 8851 रकबा 0.85 है 0 कुल जिला 2 कुल रकबा 1.36 है 0 वार्षिक लगानी 21.76 रूपये भूमि का तहसीलदार बसवा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार तकाश्मा किया जावे। तहसीलदार बसवा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार बसवा नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे, अंतीम पर्चा डिक्री एवं तहरीर जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 01.04.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे निर्णय सुनाया गया ।

  
( भावना शर्मा )

आरएस

सहायक कलेक्टर फास्ट-ट्रेक  
वादीकुई जिला दोसा  
( ट्रेक )